{ नियम 26 }

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चौथ का बरवाड़ा

बाबूलाल वगै0 बनाम छोट्या वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट मु0 नं0 27/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
11.09.2025	वकील प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, जो बाद जांचं दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना की कि अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वे ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 881, 882 व 886 का रहन, बय हस्तान्तरित नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मैंने वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसके आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः मैं उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझता हूं। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा के खसरा नंबर 881, 882 व 886 का रहन, बय हस्तान्तरित नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की तामील हेतु तहसील के माध्यम से तामील के अतिरिक्त नोटिस रजिस्टर्ड एडी से भिजवाने हेतु स्वयं के खर्चे पर लिफाफा मय डाक टिकट 07 दिवस में न्यायालय में पेश करें। उक्तानुसार दोनों माध्यमों से नोटिस तामील हेतु भिजवाये जायें। पत्रावली आगामी दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0) पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य/निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 8/10/25 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 21/11/25 मुकर्रर की गई है।	जारी 1217-1218 11/9/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	~~पीठासीन अधिकारी राजकार्य/अवकाश/ प्राटोकाल कार्य/निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 21.11.25 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 6/1/26 निश्चित की गई है।~~	
	पीठासीन अधिकारी राजकार्य/अवकाश/ प्राटोकाल कार्य/निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण आज दिनांक 21/11/25 की तारीख पेशी आगामी दिनांक 6/1/26 निश्चित की गई है।	
8/12/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद का निस्तारण किया जा चुका है जिस कारण इस प्रार्थना पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः औचित्यहीन होने के कारण पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो कर हो संब बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:18 IST
Reason: SelfAttested